भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 375
उत्तर देने की तारीख 27 मार्च, 2023
सोमवार, 6 चैत्र, 1945 (शक)

जिला कौशल समिति

***375. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:** **श्रीमती चिंता अनुराधा:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिला कौशल समितियों (डीएससी) के अंतर्गत लाभार्थियों का ब्योरा क्या है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में जिला कौशल समितियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार की डीएससी के माध्यम से अपने कौशल विकास प्रयासों में स्थानीय स्तर पर और अधिक भागीदारी तथा निर्णय लिए जाने को शामिल करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'जिला कौशल समिति' के संबंध में माननीय लोकसभा सांसद डॉ. संजीव कुमार शिंगरी और श्रीमती चिंता अनुराधा द्वारा दिनांक 27-03-2023 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 375 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) जिला स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रमों की आयोजना और अनुवीक्षण के विकेंद्रीकरण की दिशा में जिला कौशल समिति (डीएससी) का गठन एक महत्वपूर्ण पहल है। समिति की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर द्वारा की जाती है, जिसमें संबंधित प्रमुख विभागों, वित्तीय संस्थाओं और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों सहित कौशल इकोसिस्टम में विभिन्न हितधारक सदस्य होते हैं। जिला स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रमों को कुशल जनशक्ति की स्थानीय आवश्यकताओं और युवाओं की आकांक्षाओं के साथ संरेखित करने हेतु जिला कौशल विकास योजनाओं (डीएसडीपी) की तैयारी के लिए डीएससी को अधिदेशित किया जाता है।

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य में जिला कौशल समितियों की संख्या 23 है।

(ग) और (घ) जुलाई, 2021 में प्रत्येक जिले में कौशल प्रयासों के बेहतर समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए डीएससी का भाग बनने हेतु नगर आयुक्त या शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के एक प्रतिनिधि को शामिल करने को मंजूरी दी गई थी और राज्य कौशल विकास मिशनों को तदनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किया गया था।

****